राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नः 0141– 2700870
E-mail- rajssa_pfe@yahoo.co.in

क्रमांक – राप्राशिप / जय / औ.शि. / 2018–19 / 3922 दिनांक :– 24/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक / प्रारम्भिक, समस्त जिले।

विषय :– आंगनबाडी तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नामांकित किये गये Oosc (अनामांकित / ड्रॉपआउट) बच्चों की शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में दिशानिर्देश।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नामांकित किये गये Oosc (अनामांकित / ड्रॉपआउट) बच्चों की शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर निम्नानुसार प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें –

1. शहरी क्षेत्र अथवा पीईईओ परिक्षेत्र में हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये अथवा विद्यालय में आंगनबाड़ी में प्रवेश के लिए आने वाले ग्राम पंचायत के 3 से 5 वर्ष के बालक / बालिका को आंगनबाड़ी में नामांकित करें। आंगनबाड़ी जिस विद्यालय में स्थित है अथवा प्रशासनिक नियंत्रण में है, उस विद्यालय के अनुसार शालादर्पण / शालादर्शन पोर्टल पर बालक / बालिका की प्रविष्टि **"आंगनबाड़ी में नवप्रवेश"** मॉड्यूल में करें।
2. पीईईओ परिक्षेत्र में हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये ग्राम पंचायत के 6 से 18 वर्ष के Oosc बालक / बालिका अथवा विद्यालय में प्रवेश के लिए आने वाले Oosc बालक / बालिका को यदि पीईईओ विद्यालय (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक) में नामांकित किया जाना है, तो शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र टैब में **"विद्यालय से बाहर (Oosc) बच्चों की सूचना"** मॉड्यूल से अथवा **"नवप्रवेशित विद्यार्थी प्रविष्टि"** मॉड्यूल में आयुअनुसार प्रवेश (अनामांकित / ड्रॉपआउट) से प्रविष्टि करें।
3. पीईईओ परिक्षेत्र में हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये ग्राम पंचायत के 6 से 18 वर्ष के Oosc बालक / बालिका अथवा विद्यालय में प्रवेश के लिए आने वाले Oosc बालक / बालिका को यदि पीईईओ अधीनस्थ प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में नामांकित किया जाना है, तो शालादर्शन पोर्टल पर **Student tab** में Oosc पर क्लिक कर **New Oosc entry** में प्रविष्टि कर **मेनस्ट्रीम** करें अथवा **"नवप्रवेशित विद्यार्थी प्रविष्टि"** मॉड्यूल में आयुअनुसार प्रवेश (अनामांकित / ड्रॉपआउट) से प्रविष्टि कर मेनस्ट्रीम करें।
4. शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये 6 से 18 वर्ष के Oosc बालक / बालिका अथवा विद्यालय में प्रवेश के लिए आने वाले Oosc बालक / बालिका को यदि माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकित किया जाना है तो शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र टैब में **"विद्यालय से बाहर (Oosc) बच्चों की सूचना"** मॉड्यूल से अथवा **"नवप्रवेशित विद्यार्थी प्रविष्टि"** मॉड्यूल में आयुअनुसार प्रवेश (अनामांकित / ड्रॉपआउट) से प्रविष्टि करें।
5. शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित किये गये 6 से 18 वर्ष के Oosc बालक / बालिका अथवा विद्यालय में प्रवेश के लिए आने वाले Oosc बालक / बालिका को यदि प्रारंम्भिक शिक्षा के विद्यालय में नामांकित किया जाना है तो संबंधित **बीईईओ** शालादर्शन पोर्टल पर **Student tab** में **Oosc** पर क्लिक कर **New Oosc entry** में प्रविष्टि कर **मेनस्ट्रीम** करें अथवा **"नवप्रवेशित विद्यार्थी प्रविष्टि"** मॉड्यूल में आयुअनुसार प्रवेश (अनामांकित / ड्रॉपआउट) से प्रविष्टि कर मेनस्ट्रीम करें।

www.rajteachers.com

6. ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पीईईओ परिक्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बीईईओ परिक्षेत्र में बाहर से पलायन करके वास करने वाले Oosc बालक/बालिका को हाउस होल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित कर एवं विद्यालय में नामांकित किया जाकर शालादर्शन/शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जायेगी।
7. ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पीईईओ परिक्षेत्र से तथा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बीईईओ परिक्षेत्र से स्थायी रूप से पलायन कर गये बालक/बालिका की प्रविष्टि को शालादर्शन पोर्टल के **Oosc** मॉड्यूल में **New Oosc entry** से **Delete** करें।

उपरोक्तानुसार समस्त बीईईओ तथा पीईईओ से प्रवेशोत्सव 2018–19 में विद्यालयों में नामांकित किये गये Oosc बालकों/बालिकाओं की शालादर्शन एवं शालादर्पण पर प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर

प्रतिलिपी :–
1. निजी सचिव, आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (औपचारिक शिक्षा)